बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–31/2014– 249 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-03-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को प्रसार, शिक्षा एवं शोध के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2014–15 में 325.416 लाख रू० (तीन करोड़ पच्चीस लाख एकतालीस हजार छः सौ रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 3.246 लाख रू० (तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹3,24,600 (तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रू०) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–820 दिनांक–10.02.2015 द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को प्रसार, शिक्षा एवं शोध के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2014–15 में 325.416 लाख रू० (तीन करोड़ पच्चीस लाख एकतालीस हजार छः सौ रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 3.246 लाख रू० (तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹3,24,600 (तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रू०) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹3,24,600 (तीन लाख चौबीस हजार छः सौ रू०) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उप मुख्यशीर्ष–01 –फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1– उप शीर्ष–0108– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड–P2415017960108, में वर्ष 2014–15 में विषयशीर्ष –3106 – सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि ₹3,31,000 (तीन लाख एकतीस हजार रू०) कुल उपबंधित ₹4,63,000 (चार लाख तिरसठ हजार रूपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांकः–6720 वि० (2) दिनांक–25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
04/03/15

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 249 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

ज्ञापांक 249 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 04-03-, 2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

04/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

23